

भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1716
सोमवार, 10 मार्च, 2025/19 फाल्गुन, 1946 (शक)

न्यूनतम वेतन

1716. श्री जयन्त बसुमतारी:

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) पिछले पांच वर्षों में विभिन्न प्रकार के श्रमिकों के लिए न्यूनतम वेतन का राज्यवार ब्यौरा क्या है;
- (ख) सरकार ने देशभर में विशेष रूप से पूर्वोत्तर क्षेत्र में न्यूनतम वेतन में महत्वपूर्ण क्षेत्रीय असमानताओं को किस प्रकार दूर किया है; और
- (ग) राज्य स्तरीय वेतन बोर्डों की क्षमता बढ़ाने तथा न्यूनतम वेतन संशोधनों को समयबद्ध तथा साक्ष्य-आधारित तरीके से सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री
(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) से (ग): न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के उपबंधों के तहत केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारें अपने संबंधित अधिकार-क्षेत्रों में समुचित सरकार के रूप में अनुसूचित रोजगारों में नियोजित कर्मचारियों की न्यूनतम मजदूरी का निर्धारण, समीक्षा और संशोधन करती हैं। न्यूनतम मजदूरी दरें प्रत्येक क्षेत्र की विशिष्ट आवश्यकताओं और आर्थिक स्थितियों के अनुसार निर्धारित और संशोधित की जाती हैं, जिसके परिणामस्वरूप विभिन्न राज्यों और क्षेत्रों में भिन्नताएं होती हैं।

तदनुसार, केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2017 में केंद्रीय क्षेत्र में अनुसूचित रोजगारों में मजदूरी की न्यूनतम दरों को संशोधित किया गया था।

इसके अलावा, बढ़ती कीमतों से निपटने के लिए, केन्द्रीय सरकार क, ख, और क्षेत्रों में अनुसूचित रोजगारों के लिए औद्योगिक कामगारों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर प्रत्येक वर्ष न्यूनतम मजदूरी की मूल दरों पर परिवर्तनीय महंगाई भत्ते (वीडीए) में प्रत्येक 6 महीने में संशोधन करती है जो प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल और 1 अक्टूबर से प्रभावी होती है। दिनांक 01.10.2024 से लागू नवीनतम वीडिए अनुबंध में दिया गया है।

हाल ही में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के उपबंधों को तर्कसंगत बनाया गया है और उन्हें मजदूरी संहिता, 2019 के अंतर्गत समाहित कर लिया गया है। इसके अलावा, मजदूरी संहिता 2019 न्यूनतम मजदूरी को सभी रोजगारों में सार्वभौमिक रूप से लागू करने का उपबंध करती है। इसके अतिरिक्त, संहिता केंद्र सरकार को केंद्र और राज्य क्षेत्र में लागू न्यूनतम वेतन निर्धारित करने का अधिदेश देती है और समुचित सरकार द्वारा निर्धारित मजदूरी की न्यूनतम दरें न्यूनतम वेतन से कम नहीं होंगी।

*

‘न्यूनतम वेतन’ के संबंध में दिनांक 10.03.2025 को पूछे गए लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1716 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध।

केंद्रीय क्षेत्र में अनुसूचित रोजगारों के लिए न्यूनतम मजदूरी की क्षेत्रवार दरें (दिनांक 01.10.2024 तक की स्थिति के अनुसार)

क्र. सं.	अनुसूचित रोजगार	कामगारों की श्रेणी	मजदूरी की दर जिसमें प्रतिदिन का वीडिए (रुपये में) शामिल है		
			क्षेत्र क	क्षेत्र ख	क्षेत्र ग
1.	कृषि	अकुशल	500	457	452
		अर्धकुशल/अकुशल पर्यवेक्षीय	546	502	462
		कुशल/लिपिकीय	593	546	501
		अतिकुशल	656	611	546
2.	झाड़ू लगाना एवं सफाई करना+	अकुशल	783	655	526
3.	पहरा एवं निगरानी	बिना शस्त्र के (प्रशिक्षण द्वारा उन्नयन करके कुशल बनाना)	954	868	739
		शस्त्र के साथ (पर्यवेक्षण के लिए उन्नयन करके उच्च कुशलता प्राप्त बनाना)	1035	954	868
4.	लदाई एवं उतारना #	अकुशल	783	655	526
5.	संनिर्माण ^	अकुशल	783	655	526
		अर्ध-कुशल/अकुशल पर्यवेक्षीय	868	739	614
		कुशल/लिपिकीय	954	868	739
		अति कुशल	1035	954	868
6.	पत्थर खानों में पत्थर तोड़ने और पत्थर पिसाई	1. उत्खनन एवं 50 मीटर लीड/1.5मीटर ऊंचाई सहित अधिक भार को हटाने में :*			
		(क) नरम मिट्टी	530		
		(ख) पत्थर सहित नरम मिट्टी	795		

में कार्यरत मजदूर	(ग) चट्टान	1053	
	2. 50 मीटर लीड/1.5 मीटर ऊंचाई सहित छांटे गये पत्थरों को हटाने एवं जमा करने में *	426	
	3. निम्न श्रेणी के आकार में पत्थर तोड़ने अथवा पत्थर पीसने के लिए **		
	(क) 1.0 इंच से 1.5 इंच	3232	
	(ख) 1.5 इंच से ऊपर 3.0 इंच तक	2764	
	(ग) 3.0 इंच से ऊपर 5.0 इंच तक	1623	
	(घ) 5.0 इंच से ऊपर	1334	
7. गैर-कोयला खानें\$		भूमि के ऊपर { मजदूरी की दर जिसमें प्रतिदिन का वीडिए (रुपये में) शामिल है }	भूमि के नीचे { मजदूरी की दर जिसमें प्रतिदिन का वीडिए (रुपये में) शामिल है }
	अकुशल	526	655
	अर्ध-कुशल/अकुशल पर्यवेक्षीय	655	783
	कुशल/लिपिकीय	783	912
	अति कुशल	912	1020

*प्रति 2.831 क्यूबिक मीटर अथवा 100 क्यूबिक फीट

** प्रति ट्रक 5.662 क्यूबिक मीटर अथवा 200 क्यूबिक फीट भार

+ सफाई कर्मचारी नियोजन और शुष्क शौचालय सन्निर्माण (प्रतिषेध) अधिनियम, 1993 के तहत निषिद्ध गतिविधियों को छोड़कर झाड़ू लगाने और साफ सफाई के कार्य में लगे कर्मचारी।

रेलवे के माल शेड, पार्सल कार्यालयों में लोडिंग और अनलोडिंग के कार्य में लगे कर्मचारी; (ii) अन्य गुड्स शेड, भंडागार, गोदाम और अन्य समान रोजगार; (iii) गोदी और पत्तन; और (iv) हवाई अड्डों में यात्री सामान और कार्गो (अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू दोनों) ले जाने वाले कर्मचारी।

^ भूमिगत विद्युत, वायरलेस, रेडियो, टेलीविजन, टेलीफोन, टेलीग्राफ और विदेश से संचार संबंधी केबल और इसी तरह के अन्य भूमिगत केबल बिछाने के कार्य, विद्युत लाइन, जल आपूर्ति लाइनों और सीवरेज पाइप लाइन को बिछाने सहित सड़कों या रनवे के निर्माण या रखरखाव या भवन संचालन में लगे कर्मचारी।

\$ जिप्सम खान, बैराइट्स खान, बॉक्साइट खान, मैंगनीज खान, चाइना क्ले खान, कायनाइट खान, तांबा खान, मिट्टी की खान, मैग्नेसाइट खान, व्हाइट क्ले खान, पत्थर खान, स्टीटाइट खान (सोप स्टोन्स तथा टेलक बनाने वाली खदान सहित) के रोजगार में लगे कर्मचारी, गेरु की खदान, अभ्रक की

खदानों, आग की मिट्टी की खदानों, क्रोमाइट की खदानों, क्वार्टजाइट की खदानों, क्वार्ट्ज की खदानों, सिलिका की खदानों, ग्रेफाइट की खदानों, फ़ेलस्पर की खदानों, लेटराइट की खदानों, डोलोमाइट की खदानों, रेड ऑक्साइड की खदानों, वोल्फ्राम की खदानों, लौह अयस्क की खानों, ग्रेनाइट खदानों, रॉक फॉस्फेट खदानों, हेमेटाइट खदानों, संगमरमर और कैल्साइट खदानों, यूरेनियम खदानों, अभ्रक खदानों, लिग्नाइट खदानों, बजरी खदानों, स्लेट और मैग्नेटाइट खदानों में काम करने वाले कर्मचारी।

(जारी/-)

क्षेत्र का वर्गीकरण

क्षेत्र - "क"					
अहमदाबाद	(यूए)	हैदराबाद	(यूए)	फरीदाबाद परिसर	
बेंगलुरु	(यूए)	कानपुर	(यूए)	गाज़ियाबाद	
कोलकाता	(यूए)	लखनऊ	(यूए)	गुडगाँव	
दिल्ली	(यूए)	चेन्नई	(यूए)	नोएडा	
ग्रेटर मुंबई	(यूए)	नागपुर	(यूए)	सिकंदराबाद	
नवी मुंबई		पुणे	(यूए)		
क्षेत्र - "ख"					
आगरा	(यूए)	ग्वालियर	(यूए)	पोर्ट ब्लेयर	(यूए)
अजमेर	(यूए)	हुबली, धारवाड़	(नगर निगम))	पुदुचेरी	(यूए)
अलीगढ़	(यूए)	इंदौर	(यूए)	रायपुर	(यूए)
इलाहाबाद	(यूए)	जबलपुर	(यूए)	राउरकेला	(यूए)
अमरावती	(नगर निगम)	जयपुर	(नगर निगम)	राजकोट	(यूए)
अमृतसर	(यूए)	जालंधर	(यूए)	रांची	(यूए)
आसनसोल	(यूए)	जालंधर-कैंट.	(यूए)	सहारनपुर	(नगर निगम)
औरंगाबाद	(यूए)	जम्मू	(यूए)	सालेम	(यूए)
बरेली	(यूए)	जामनगर	(यूए)	सांगली	(यूए)
बेलगाम	(यूए)	जमशेदपुर	(यूए)	शिलांग	
भावनगर	(यूए)	झांसी	(यूए)	सिलीगुड़ी	(यूए)
भिवंडी	(यूए)	जोधपुर	(यूए)	सोलापुर	(नगर निगम)
भोपाल	(यूए)	कन्नूर	(यूए)	श्रीनगर	(यूए)
भुवनेश्वर	(यूए)	कोच्चि	(यूए)	सूरत	(यूए)
बीकानेर	(नगर निगम)	कोल्हापुर	(यूए)	तिरुवनंतपुरम	(यूए)
बोकारो स्टील सिटी	(यूए)	कोल्लम	(यूए)	त्रिशूर	(यूए)
चंडीगढ़	(यूए)	कोटा	(नगर निगम)	तिरुचिरापल्ली	(यूए)
कोयंबटूर	(यूए)	कोझिकोड	(यूए)	तिरुपूर	(यूए)
कटक	(यूए)	लुधियाना	(नगर निगम)	उज्जैन	(नगर निगम)
देहरादून	(यूए)	मदुरै	(यूए)	वडोदरा	(यूए)
धनबाद	(यूए)	मलप्पुरम	(यूए)	वाराणसी	(यूए)

दुर्गापुर	(यूए)	मालेगांव	(यूए)	वसई-विरार शहर	(नगर निगम)
दुर्ग-भिलाई नगर	(यूए)	मंगलौर	(यूए)	विजयवाड़ा	(यूए)
इरोड	(यूए)	मेरठ	(यूए)	विशाखापत्तनम	(नगर निगम)
फिरोजाबाद		मुरादाबाद	(नगर निगम)	वारंगल	(यूए)
गोवा		मैसूर	(यूए)	गोरखपुर	(यूए)
नांदेड़ वाघाला	(नगर निगम)	ग्रेटर विशाखापत्तनम	(नगर निगम)	नासिक	(यूए)
गुलबर्गा	(यूए)	नेल्लोर	(यूए)	गुंटूर	(यूए)
पंचकुला	(यूए)	गुवाहाटी	(यूए)	पटना	(यूए)

क्षेत्र 'ग' में वे सभी क्षेत्र शामिल होंगे जिनका उल्लेख इस सूची में नहीं है।

एनबी : यूए शहरी समूह के लिए दिया गया है।
